



**जोधपुर विद्युत  
वितरण निगम  
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./अ.प्र.नि./मु.अ.(सीपीएम)/अ.अ.(आर.ए.वा.)फा /प्रे. 2436 दि. 6.2.07

**आदेश**

**विषय: कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से बिलों का भुगतान स्वीकार करने के सम्बंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत समन्वय समिति ने अपनी 100 वीं बैठक दिनांक 18.01.2007 में विचार विमर्श किया। तदानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि "कृषि सेवा (एजी/एलटी-4)" के अन्तर्गत आने वाले सभी उपभोक्ताओं को यदि 24 घंटे बिजली मिल रही है तो विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित "टैरिफ फार सप्लाई आफ इलैक्ट्रिसिटी-2004" के अनुसार बिल जारी किये जायें और बिल की राशि वसूल की जाये।

**आज्ञा से**

*(हस्ताक्षर)*  
**(ए.एम. लोढ़ा)**  
**मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.)**  
**जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जोधपुर/बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- जिला कलेक्टर,  
जोधपुर/पाली/बाड़मेर/जालोर/चूरु/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर।
- वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- उप मुख्य अभियन्ता (एम.एम.एण्ड सी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को राज्य सरकार से पुर्नभरण प्राप्त करने हेतु।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्ड पी/बी.एफ.एल.) जोधपुर डिस्कॉम,  
जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।
- निजी सचिव, सलाहकार(एम), राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय सलाहकार(एम) के अवलोकनार्थ।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman-Commissioner, Collectorate, जोधपुर।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधिकारियों को भेजने हेतु अतिरिक्त प्रतिया संलग्न।

पेज 02 का 01